



Why This Scheme?

- A one-time opportunity to **settle long-pending cases** under the ESI Act, 1948.
- Minimise litigation and decrease **legal expenditure**.
- Promote **trust and goodwill** among ESIC, employers, and insured persons.

Who Can Benefit?

- **Employers:** Pending disputes under Sec. 75, 82, 85, 85A of the ESI Act and Article 226 of the constitution of India.
- **Employees/Insured Persons:** Cases under Sec. 84 (excess benefit refund).
- **Units:** Non-submission of returns, late declarations, or minimum dues in old cases.

What Does It Cover?

- **Dispute of Coverage:** Pay contribution + interest; no damages.
- Minimum 30% in the absence of relevant records.
- **Disputed Levy of Damages:** Pay just 10% of the damages if contribution and interest already paid.
- **Withdrawal of Prosecution:** Sections 84, 85 & 85A cases, subject to compliance.
- **Old Cases:** > 15 years, dues < ₹25,000, eligible for closure.
- **Late Returns/Declarations:** will be accepted only after compliance.

Benefits of Joining

- Relief from **prolonged litigation**.
- **Exemption on significant damages** in most cases.
- **Transparent & fair** settlement process.
- Cases resolved within **6 months**.
- Peace of mind for employers & workers.

How to Apply

- **For more help Visit:** Nearest Regional / Sub-Regional Office (RO/SRO).
- **Submit request** with required records & undertaking.
- **Call:** Toll-Free Helpline: 1800-11-2526

A golden opportunity
to settle long-pending cases, reduce
litigation, and ensure peace of mind

Covers
Cases filed
up to
**31st March
2025**

**ESIC
AMNESTY
SCHEME 2025**

1st October 2025 – 30th September 2026



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Labour & Employment, Government of India

FOLLOW US ON



(SCAN QR CODE)

क्यों लाई गई यह योजना?

- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत लंबे समय से लंबित मामलों को निपटाने का एकमात्र अवसर।
- मुकदमेबाजी घटेगी और कानूनी खर्चों में बचत होगी।
- क.रा.बी. निगम, नियोक्ताओं और बीमाकृत व्यक्तियों के बीच विश्वास और सौहार्द को बढ़ावा।

किसे मिलेगा लाभ?

- नियोक्ताओं (Employers) को:** क.रा.बी. अधिनियम की धाराएं 75, 82, 85, 85ए एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वाले विवादों में।
- कर्मचारियों / बीमाकृत व्यक्तियों (Employees / Insured Persons):** धारा 84 के अधीन मामलों में (अधिक भुगतान वापसी)।
- इकाइयों को:** रिटर्न जमा न करने, देरी से घोषणा पत्र जमा करने या पुराने मामलों में मामूली बकायों में।

योजना में क्या शामिल है?

- व्याप्ति के विवाद (Dispute of Coverage):** अंशदान + ब्याज का भुगतान करें; कोई हर्जाना नहीं।
- अंशदान विवाद (Dispute of Contribution):** सुसंगत दस्तावेज न होने पर न्यूनतम 30% का भुगतान।
- हर्जानों का विवाद (Disputed Levy of Damages):** यदि अंशदान और ब्याज पहले ही जमा, तो केवल 10% हर्जाने का भुगतान।
- अभियोजन की वापसी (Withdrawal of Prosecution):** धारा 84, 85 एवं 85ए के मामले, अनुपालनाधीन।
- पुराने मामले (Old Cases):** 15 वर्ष से अधिक पुराने एवं ₹25,000 से कम बकाया वाले मामले बंद किए जा सकते हैं।
- विलंबित रिटर्न/घोषणा (Late Returns/Declarations):** अनुपालन पश्चात् मामले को बंद कर सकते हैं।

योजना से जुड़ने के लाभ

- लंबित मुकदमों से राहत।
- अधिकांश मामलों में भारी हर्जानों से छूट।
- पारदर्शी एवं न्यायपूर्ण निपटान प्रक्रिया।
- मामले 6 महीने के भीतर निपटाए जाएंगे।
- नियोक्ताओं एवं कामगारों को मानसिक शांति।

आवेदन कैसे करें?

- अधिक सहायता/जानकारी के लिए अपने नजदीकी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय (RO/SRO) में संपर्क करें।
- आवश्यक दस्तावेज एवं भविष्य में अनुपालन का वचन पत्र जमा करें।
- कॉल करें:** टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-11-2526

लंबे समय से लंबित मामलों को निपटाने, मुकदमों में कमी लाने और मानसिक शांति सुनिश्चित करने का सुनहरा अवसर

31 मार्च
2025
तक दर्ज मामलों
पर लागू

क.रा.बी. निगम एमनेस्टी योजना 2025

01 अक्टूबर 2025 – 30 सितम्बर 2026



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Labour & Employment, Government of India

(क्यूआर कोड स्कैन करें)



हमें फॉलो करें